न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/175

1. बद्रीलाल पुत्र रूपा जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 कल्लू जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. बिन्दु आत्मज स्व० कल्लू जी जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०
4. ममता पत्नी स्व० देवीशंकर (पुत्र स्व० कल्लू) जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०
5. दामिनी पुत्री स्व० देवीशंकर नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती ममता पत्नी स्व० देवीशंकर (पुत्र स्व० कल्लू) जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०
6. कुलदीप पुत्र स्व० देवीशकर नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती ममता पत्नी स्व० देवीशंकर (पुत्र स्व० कल्लू) जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०

– अपीलांटगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत खातौली जरिये सचिव ग्राम पंचायत खातौली, पंचायत समिति इटावा जिला कोटा–राज०
2. श्रीमान कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) इटावा जिला कोटा–राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा–राज०/राजकीय अभिभाषक
4. प्रहलाद आत्मज रूपा जाति बैरवा निवासी ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज०राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री भारत सिंह अडसेला, श्री रूपेश श्रंगी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रणजीत सिंह नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार, रेस्पो. संख्या 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 28.02.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 18/2009 मे पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील संख्या 2024/175
बद्रीलाल बनाम ग्राम पंचायत खातौली जरिये सचिव

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता रूपा आत्मज रामा बैरवा निवासी खातौली की खातेदारी व कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 88 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा में स्थित थी, जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 125 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर वाके ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा में कायम किये गये है तथा वादीगण के पिता रूपा की मृत्यु के बाद वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है जिस पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज काश्त है। वादीगण के खाते व कब्जे के खेतो के नक्शा ट्रेस में सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना अधिकारिता व ठोस कारणों के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया है, जिसके कारण वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है, इस कारण वादीगण सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग के पुराने खसरा नम्बर 299, 300, 301 के नये खसरा नम्बर 418, 419 का जो नक्शा ट्रेस बनाया है, वह त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाया गया है। सेटलमेंट विभाग ने नक्शा ट्रेस में त्रुटि करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त व खाते की भूमि को नये खसरा नम्बर 418 व 419 में सम्मिलित कर दिया है, जबकि सेटलमेंट विभाग को नये खसरा नम्बर 418 व 419 का नक्शा ट्रेस पुराने खसरा नम्बर 299, 300 व 301 के नक्शे अनुरूप ही दर्ज करना चाहिए था, इस कारण सेटलमेंट द्वारा की गई नक्शे की त्रुटि दुरुस्त होने योग्य है तथा वादीगण नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। वादीगण के खाते व कब्जे के खेत खसरा नम्बर 420 वाके खातौली के उत्तरी दिशा में खातौली इटावा मुख्य सड़क से ग्राम छत्रपुरा तक की गडार(आम रास्ता) खसरा नम्बर 421 में होकर है। खसरा नम्बर 421 की गडार(आम रास्ता) के रूप में वर्षों से उपयोग उपभोग होता आ रहा है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा कृषि उपज मंडी इटावा के प्रस्ताव पर खातौली इटावा रोड से ग्राम छत्रपुरा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण खसरा नम्बर 421 में होकर ही स्वीकृत किया था तथा कार्य आदेश जारी होने से पूर्व ही उक्त आम रास्ता खसरा नम्बर 421 की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तौर पर अतिकमण कर लिया था तथा कृषि उपज मंडी समिति इटावा के निर्वाचित सदस्य रामस्वरूप बैरवा की शिकाय पर मंडी प्रशासन इटावा ने अतिकमण हटाकर आम रास्ते को बहाल किया था तथा आम रास्ते का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से हो रहा है, आमजन बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि इसी रास्ते से आ जारहे है। किन्तु कुछ प्रभावशाली व भू–माफिया से जुड़े लोगों की नजर खसरा नम्बर 421 व उसके लगवां स्थित सरकारी सिवायचक भूमि पर है, जो खसरा नम्बर 421 व उसके लगवां सरकारी भूमि जो बेसकीमती जमीन है, उस पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2024/175

बद्रीलाल बनाम ग्राम पंचायत खातौली जरिये सचिव

कारण यह लोग नरेगा के तहत प्रस्तावित ग्राम खातौली इटावा रोड से ग्राम छत्रपुरा तक प्रस्तावित सम्पर्क सड़क का निर्माण आम रास्ते में होकर नहीं होने देना चाहते है। तथावादीगण के खाते व कब्जे की भूमि से उक्त सम्पर्क सड़क का निर्माण प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत खातौली से सांठगांठ के बल पर करवाना चाहते है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत खातौली व कार्यक्रम अधिकारी नरेगा को वादीगण के खाते व कब्जे के खेतों में होकर सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु कोई भी अधिकार नही है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु स्थानीय पंचायत खातौली से सांठगांठ कर खसरा नम्बर 421 में होकर निकाली जा रही सम्पर्क सड़क के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे है, तथा वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 420 में होकर सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाना चाहते है। इस बात की जानकारी लगने पर वादीगण ने दिनांक 08.12.2008 को पंचायत खातौली को लिखित सूचना पत्र पेश किया। किन्तु उक्त सूचना–पत्र की 2 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी ग्राम पंचायत खातौली ने वादीगण की लिखित सूचना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की, इस कारण वादीगण को प्रतिवादी कम 1 ग्राम पंचातय खातोली की कार्यप्रणाली पर सन्देह है तथा वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालय श्रीमान में वादपत्र पेश करने को बाध्य होना पड़ा है। वादीगण ने दिनांक 10.02.2009 को कार्यालय श्रीमान कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इटावा में उपस्थित होकर परिवाद पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि नरेगा के तहत प्रस्तावित सम्पर्क सड़क ग्राम खातौली गुडला तिराहा कोटा रोड से ग्राम छत्रपुरा का निर्माण निर्धारित गडार आम रास्ता खसरा नम्बर 421 में किया जावे, तथा उसी अनुरूप लाईन दी जावे। किन्तु आज दिन तक भी कार्यक्रम अधिकारी ने विवादित स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया, न ही एजेन्सी ग्राम पंचायत खातौली को समुचित निर्देश दिया, इस कारण मजबूर होकर वादीगण को वादपत्र पेश करने को बाध्य होना पड़ा है। अन्त में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित किए जाने का निवेदन किया कि–(अ) वाके ग्राम खातौली में स्थित वादीगण के खाते की भूमियां वर्तमान खसरा नम्बर 125, 135, 420, 459 का नक्शा ट्रेस सेटलमेंट से पूर्व नक्शे के अनुरूप कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। (ब) नरेगा के तहत प्रस्तावित सम्पर्क सड़क ग्राम खातौली गुडला तिराहा कोटा रोड से ग्राम छत्रपुरा का निर्माण निर्धारित गडार(आम रास्ता) खसरा नम्बर 421 में करने तथा उसी अनुरूप लाईन देने का आदेश/आज्ञात्मक व्यादेश जारी किया जावे। (स) प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रस्तावित सम्पर्क सड़क ग्राम खातौली इटावा रोड से ग्राम छत्रपुरा का निर्माण वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 420 में नहीं करें। ऐसा कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न ही अपने प्रतिनिधियों से ही करावें।(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण के हितार्थ हो जारी की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2018 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 07.06.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण अपीलांटगण की अनुपस्थिति में खारिज किया है। अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 को उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार होने व उपरोक्तानुसार राजस्व कैम्प में खारिज हो जाने की कोई जानकारी नहीं रही है। दिनांक 26/06/2024 को पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के खाते की भूमि पर संपर्क सडक की प्रक्रिया अमल में लाये जाने की जानकारी देने पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा दीगर वादीगण से जानकारी करने पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 को उक्त वाद पूर्व में जैरकार होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 ने मालूमात कर दिनांक 27/06/2024 को निर्णय जैर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो उनको दिनांक 05/07/2024 को प्राप्त हुई। निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर तथा अपील के खर्चे हेतु रकम का इन्तजाम कर अपीलांटगण द्वारा अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से निर्णय जैर अपील के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है जो सदभाविक होने से क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन फरमाये जाने की कृपा करें। अन्त में प्रार्थी का

<u>अपील संख्या 2024/175</u>

<u>बद्रीलाल बनाम ग्राम पंचायत खातौली जरिये सचिव</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधी. न्यायालय खिलाफ कानून व रूयदाद मिसल होने की बिना पर अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण कल्लू, प्रहलाद व बद्रीलाल पिसरान रूपा जी द्वारा प्रस्तुत वाद को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से राजस्व लोक अदालत में रखकर उक्त वाद को महज एक वादी के विड्रो प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किये जाने का निर्णय सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी बद्रीलाल व कल्लू जी की अनुपस्थिति में उनके किसी आवेदन के बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से दावा वादीगण एज विड्रो खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि राजस्व लोक अदालत में उभय पक्षो की सहमति के आधार पर ही केवल राजीनामा के आधार पर बाद का निस्तारण किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 05.06.2009 को ही एकपक्षीय कार्यवाही हो गई थी तथा उक्त वाद तहसील रिपोर्ट पेश होने में नियत था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना ही प्रस्तुत वाद को अवैध रूप से राजस्व लोक अदालत केम्प में रखकर उक्त वाद को एज विड्रो खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वादीगण में से वादी बद्रीलाल व कल्लू द्वारा उक्त वाद को विड्रो करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और ना ही वादीगण द्वारा उक्त वाद विड्रो किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी। इस कारण कानूनन वादीगण बद्रीलाल व कल्लू की लिखित सहमति के बिना उक्त वाद को विड्रो नहीं किया जा सकता था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सभी वादीगण की सहमति के बिना ही दावा वादीगण अवैध एवं गैर कानूनी रूप से खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वादीगण के खातेदारी की साबिक ख०नं० 88, 89, 326, कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम खातौली के नवीन ख०नं० 125, 135, 420 व 459 कुल 4 किता रकबा 1.99 है० कायम किया गया है। वादीगण साबिक ख०नं० नम्बरान की भूमि के अनुसार ही मौके पर तत्समय से ही वैधानिक रूप से बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि के नवीन नम्बर कायम करते समय नक्शा ट्रेस में बिना अधिकारिता के परिवर्तन कर दिया। सेटलमेंट विभाग द्वारा ग्राम खातौली के साबिक ख०नं० नम्बरान 299, 300 व 301 की भूमि के नवीन 10नं0 418, 419 कायम कर जो नक्शा ड्रेस बनाया वह त्रुटिपूर्ण तरीके से बना दिया तथा वादीगण के कब्जे काश्त व खाते की भूमि को नक्शा दूस में गलत रूप से ख0नं0 418, 419 में सम्मिलित कर दिया जो पूर्णतया अवैध एवं बिना अधिकारिता के होने से काबिल दुरस्ती था। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 13.01.2010 में तहसील रिपोर्ट तलब किया

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाना आवश्यक प्रतीत हीना मानकर तहसील रिपोर्ट तलब की गई थी। इसके बावजूद तहसील रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण अवैध एवं गैर कानूनी रूप से खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि के खेत ख0नं0 420 बाके ग्राम खातौली के उत्तरदी दिशा में खातौली इटावा मुख्य सडक से ग्राम छत्रपुरा तक की गडार ख0नं0 421 में होकर है जो वर्षों से आम रास्ता के रूप में उपयोग में आ रहा है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा कृषि उपजमण्डी इटावा के प्रस्ताव पर खातौली इटावा रोड से ग्राम छत्रपुरा तक संपर्क सडक का निर्माण उक्त ख0नं0 421 में ही स्वीकृत किया था किन्तु निर्माण से पूर्व ही कुछ लोगो द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया जिसे बाद में मण्डी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर आम रास्ते को बहाल किया। कुछ प्रभावशाली लोग व भूमाफिया उक्त ख०न० 421 पर व अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में है इस कारण वह उक्त ख0नं0 421 की भूमि पर संपर्क सडक का निर्माण नहीं होने देना चाहते है तथा प्रतिवादीगण से सांठगांठ करके बादीगण के खाते व कब्जे की भूमि पर संपर्क सडक का निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं तथा प्रतिवादीगण से सांठगांठ करके वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख0नं0 420 में होकर संपर्क सड़क का निर्माण करना चाहते हैं जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्य व बयानों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण को पाबन्द किये बिना ही दावा वादीगण अवैध एवं गैर कानूनी रू॰ से खारिज फरमाने में त्रुटि की है। उक्त वाद में वादी कल्लू आत्मज श्री रूपा जी का स्वर्गवास दावे के निस्तारण से पूर्व हो गया है। अपीलाट संख्या 2 व 3 स्व० कल्लू जी के पुत्र है तथा अपीलांट संख्या 4 स्व० कल्लू जी के मृतक पुत्र देवीशंकर की पत्नी है तथा अपीलांट संख्या 5 व 6 स्व० कल्लू जी के पौत्री व पोत्र है। इस प्रकार अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 स्व० श्री कल्लू जी के उत्तराधिकारी व विधिक वारिसान है। अपीलांट संख्या के साथ साथ अपीलांट संख्या 6 का भी वाद वर्णित आराजी में हित निहित है। अपीलांट निर्णय जैर अपील से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। वादीगण में से प्रहलाद द्वारा अपील प्रस्तुत करने नहीं आने पर उनको बतौर रेस्पो० पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत है। अपील अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 07.06.2018 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त मुकदमें में अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान कर मुकदमें को गुणावगुण पर निर्णीत करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

8. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 को विधि सम्मत होना बताकर अपील अपीलांट खारिज किए जाने का निवेदन किया।

अपील प्राधिकारी
कोटा

अपील संख्या 2024/175

बद्रीलाल बनाम ग्राम पंचायत खातौली जरिये सचिव

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 07.06.2018 लोक–अदालत के तहत अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इस कारण अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.07.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.07.2016 को पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी तथा आगामी पेशी दिनांक 02.09.2016 नियत थी। दिनांक 02.09.2016 से लगायत दिनांक 20.03.2018 तक की आदेशिकाओं में जवाब प्रस्तुत होने का अंकन नहीं है। दिनांक 20.03.2018 की आदेशिका में आगामी पेशी दिनांक 05.05.2018 नियत है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2018 की कोई आदेशिका कायम नहीं की जाकर सीधे ही दिनांक 17.06.2018 लोक–अदालत की आदेशिका अंकित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही पत्रावली लोक–अदालत हेतु नियत की गई है। दिनांक 20.03.2018 की आदेशिका में पत्रावली के लोक अदालत में नियत किए जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। पत्रावली में दिनांक 20.03.2018 की आदेशिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर/अंगूठा निसानी अंकित नहीं है तथा ना ही लोक अदालत की दिनांक 17.06.2018 को उपस्थिति हेतु सम्मन नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है। लोक–अदालत की आदेशिका दिनांक 17.06.2018 पर केवल एक वादी प्रहलाद की अंगूठा निसानी अंकित है तथा इनके अलावा किसी अन्य पक्षकार के हस्ताक्षर व अंगूठा निसानी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में सभी अपीलांटगण को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांटगण को प्रश्नगत प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट व अन्य पक्षकारान लोक–अदालत केम्प कोर्ट दिनांक 07.06.2018 को उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामा आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2018 संलग्न है जिसमें केवल वादी प्रहलाद की अंगूठा निसानी अंकित है तथा इसके अलावा अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निसानी प्रश्नगत राजीनामा आवेदन पत्र पर अंकित नहीं है। अतः प्रश्नगत राजीनामा आवेदन–पत्र दिनांक 07.06.2018 सभी पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गाय है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना

विधि सम्मत होता है जिनमें सभी पक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता हो। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में लोक–अदालत में न तो सभी पक्षकार उपस्थित थे और न ही सभी पक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण व अन्य पक्षकारान की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण में विचारधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सुने बिना ही लोक–अदालत की भावना के विपरीत प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2018 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 18/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा